

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 112/2015  
संस्थित दिनांक-30/07/2014  
फाईलिंग नंबर-230303017052014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—  
आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला-भिण्ड (म0प्र0) —————अभियोजन

वि रू द्ध

1. सचिन यादव उर्फ राज यादव पुत्र अमरसिंह,  
उम्र 23 साल निवासी फूटाताल  
थाना चकरनगर जिला इटावा उ0प्र0
2. गौरव पुत्र वीरेन्द्रसिंह यादव  
उम्र 20 साल, निवासी ग्राम किटी थाना  
ऊमरी जिला भिण्ड
3. धर्मेन्द्र यादव पुत्र रामवीर यादव,  
उम्र 22 साल, निवासी रूपपुर  
थाना अछलदा जिला औरैया उ0प्र0 .....आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक।  
आरोपीगण द्वारा श्री के0के0 शुक्ला अधिवक्ता।

**—::— निर्णय —::—**

(आज दिनांक 03 फरवरी 2017 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 397 सहपठित धारा-11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-02/06/2014 के रात 08:30 बजे हीरापुर धमसा मार्ग गोहद जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने सह आरोपियों के साथ एक राय होकर अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए, फरियादी छोटू खां, लालू मिर्धा से नगद रुपये, मोबाइल, पर्स, ईयरफोन की लीड, मोटरसाइकिल की चाबी आदि सामान खतरनाक आयुध कटटे का प्रयोग करते हुए छीनकर लूट कारित की तथा आरोपी सचिन उर्फ राज के विरुद्ध धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम सहपठित धारा-11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत यह भी आरोप है कि वह

उक्त दिनांक स्थान व समय पर उक्त डकैती प्रभावित क्षेत्र में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक 315 बोर का कट्टा मय 01 जिंदा राउण्ड अपने आधिपत्य व संज्ञान में रखे हुए पाया गया।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि, घटना दिनांक को घटनास्थल मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। यह भी निर्विवादित है, कि साक्षी छोटू खां लालू खां जो प्रकरण के पीडित है, वे आपस में सगे भाई हैं, नगीना उनकी बहिन है,
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक-03/06/2014 को फरियादी छोटू खां अपने मित्र लालू मिर्धा के साथ थाना गोहद में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि वह दिनांक 02/06/14 को अपने मित्र लालू मिर्धा के साथ उसकी नई मोटरसाइकिल हीरोहोण्डा डीलक्स से भिण्ड से अपने गांव गडरौली मेहगांव हीरापुर होकर आ रहा था, रात करीब 08:30 बजे हीरापुरा के आगे धमसा तरफ धमसा मौजा में आया ही था कि पीछे से एक काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल से तीन बदमाशों ने आकर गाड़ी लगाकर उसे व लालू को रोक लिया। तभी उसने मोटरसाइकिल की लाइट से पल्सर गाड़ी का नंबर यू.पी.-75-एस-0797 लिखा देखा, उस पर सवार तीनों बदमाशों में से एक गोहरे रंग का जिसका नाम बाद में राज सिंह यादव पता चला ने एक 315 बोर का नया कट्टा लोहे पीतल का उसकी कनपटी पर लगा दिया, दूसरा बदमाश जो नीले रंग का जींस व पेंट पहने था उसने कहा कि चुपचाप रखे रहो, नहीं तो गोली मार दूंगा, फिर फरियादी छोटू खां की पेंट से मूंगिया रंग का पर्स जिसमें 350/-रुपये रखे थे, छीनकर लिया और उसका कार्बन कंपनी का मोबाइल सफेद रंग का जिसमें सिम नंबर-8866674494 टाटा डोकोमो पड़ी थी व एक नई सिम भी थी उसे छीन लिया। पर्स में उसका फर्नीचर दुकान का कार्ड भी रखा था, दूसरे बदमाश ने लालू मिर्धा का पर्स काले रंग का जिसमें 1100/- रुपये नगद, एक 500/-का व छ: 100-100 के नोट थे, तीसरे बदमाश की मदद से छुड़ा लिया। तीसरा बदमाश उम्र में दोनों से बड़ा है, उसने मोटरसाइकिल की चाबी खींच ली। लालू का नोकिया कंपनी का मोबाइल भी लूट लिया और भाग गये, जिनको सामने आने पर वह पहचान लेगा।
4. फरियादी द्वारा की गई उक्त रिपोर्ट पर से, थाना गोहद में तीन अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध अप.क्र.-193/14 धारा-392 भा0द0वि0 धारा-11, 13 डकैती अधिनियम तथा धारा-25, 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्र0पी0-07 की एफ0आई0आर0 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान ६

टनास्थल का नक्शामौका प्र०पी०-08 आरोपीगण की गिरफ्तारी प्र०पी०-03 लगायत 05 एवं 15 तथा उनसे अनुसंधान के दौरान जब्त बस्तुओं के जब्तीपत्रक प्र.पी.-01, 02 एवं प्र.पी.-16 लगायत 18 तथा मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.-06, 13 एवं 14 तथा साक्षियों के कथन उपरान्त विवेचना पूर्ण कर आरोपी सचिन उर्फ राज यादव के विरुद्ध अभियोजन चलाने की अर्म्स एक्ट के तहत की ली अनुमति प्र.पी.-19 संकलित कर अभियोग पत्र विचारण हेतु सक्षम डकैती न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

5. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध के विरुद्ध धारा 397 सहपठित धारा-11, 13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट तथा आरोपी सचिन उर्फ राज के विरुद्ध धारा-25(1-बी)ए सहपठित धारा-11, 13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उनकी ओर से कोई बचाव नहीं दी गयी है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- 1- क्या 02/06/2014 के दोपहर 08:30 बजे हीरापुर धमसा मार्ग गोहद जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में आपस में मिलकर लूट की घटना कारित करने के लिए सामान्य आशय निर्मित किया ?
- 2- क्या, आरोपीगण द्वारा फरियादी छोटू खां, लालू मिर्धा से नगद रुपये, मोबाइल, पर्स, ईयरफोन की लीड, मोटरसाइकिल की चाबी आदि सामान खतरनाक आयुध कटटे का प्रयोग करते हुए छीनकर लूट कारित की।
- 3- क्या आरोपी सचिन उर्फ राज उक्त घटना दिनांक 02/06/14 को अपने आधिपत्य और संज्ञान में बगैर वैध अनुज्ञप्ति के 315 बोर का देशी कट्टा मय कारतूस के आयुध अधिनियम की धारा-03 का उल्लंघन करते हुए अपने आधिपत्य और संज्ञान में रखे पाया गया?

**—::—निष्कर्ष के आधार :-**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 व 02 का निराकरण**

7. उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न का एक दूसरे से संबंधित हैं इसलिए उनका सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।

8. अभियोजन के कथानक मुताबिक बताई गई घटना के आहत/रिपोर्टकर्ता छोटू खॉ, लालू और श्रीमती नगीना को बताया गया है। छोटू खॉ अ0सा0 3 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी को पहचानने से इन्कार करते हुए यह कहा है कि वह अपने भाई लालू के साथ मोटरसाइकिल से भिण्ड से अपने घर ग्राम गडरौली आ रहे थे, रात के करीब 8 बजे जब वह ग्राम धमसा के पास आए तो तीन बदमाशों ने पीछे से आकर उनकी मोटरसाइकिल के आगे अपनी मोटरसाइकिल लगा दी और रोक लिया। उनमें से एक ने उसकी कनपटी पर कट्टा लगा दिया और चुपचाप खड़े रहने को कहा नहीं तो गोली मार देंगे। इसके बाद एक बदमाश ने उसकी जेब से पर्स निकाला जिसमें 1100/- रूपए थे। तीनों बदमाश मुँह बांधे हुए थे और रात का अंधेरा था इसलिए वह किसी को नहीं पहचान पाया था। एक बदमाश ने उसके मोबाइल को भी छीन लिया था तथा उसके भाई लालू का भी मोबाइल और पर्स छीनकर ले गए थे। ऐसा ही अभिसाक्ष्य लालू खॉ अ0सा0 4 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में बताया है। दोनों ने इस बात से इन्कार किया है कि लाइट के उजाले में उन्होंने बदमाशों को देख लिया था। छोटू खॉ ने घटना की थाना गोहद में जाकर प्र0पी0 7 की एफ0आई0आर0 दर्ज कराना कहा है और पुलिस द्वारा घटनास्थल पर उसके साथ आकर प्र0पी0 8 का नक्शामौका तैयार करना बताया है, किन्तु उसने इस बात से इन्कार किया है कि रपोर्ट में उसने लूट करने वालों के हुलिया और नाम लिखाए थे। इस बात से भी इन्कार किया है कि बदमाशों की मोटरसाइकिल का नम्बर लाइट के उजाले में उसने देख लिया था। ऐसे ही लालू खॉ अ0सा0 4 ने भी अपनी अभिसाक्ष्य में बताते हुए छोटू खॉ ने प्र.पी. 10 का ए से ए व बी से बी भाग का कथन और लालू खॉ ने प्र.पी. 11 का ए से ए व बी से बी भाग का कथन लिखाने से इन्कार किया है।
9. अ0सा0 3 व 4 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह भी कहा है कि अंधेरे के कारण मोटरसाइकिल का नम्बर नहीं देख पाए थे। छोटू खॉ ने घटना की रिपोर्ट तीसरे दिन करना बतायी है और यह कहा है कि गांव के सरपंच, पटेल को साथ लेकर वह टी.आई साहब के पास गए थे, चर्चा की थी तब टी.आई साहब ने कहा था कि हस्ताक्षर कर दो उनके लूटे गए माल को वापस दिलवा देंगे, तब पुलिस ने 3-4 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे। साक्षी ने प्र.पी. 7,8 व 9 पर हस्ताक्षर कराना बताते हुए यह कहा है कि जिन तीनों लोगों ने उनके साथ लूट की घटना की थी वे हृष्टपुष्ट थे और 40-45 वर्ष की उम्र के होंगे। छोटू ने पेरा 7 में इस बात से इन्कार किया है कि विचाराधीन आरोपीगण ने उने साथ लूट की घटना कारित की थी और राजीनामा के कारण या दबाव, प्रभाव, भय या प्रलोभन में आकर असत्य कथन कर रहे हैं। लालू अ0सा0 4 ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसने पुलिस को दिया गया कथन में लूट करने वालों की गाडी का नम्बर यू.पी. 75 एस. 0797 लिखाया था।



10. नगीना अ0सा0 8 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि उसे उसके भाई छोटू ने फोन पर लूट होने की घटना बताई थी तो उसने फोन पर रिपोर्ट करने का कहा था, उसके सामने कोई घटना नहीं घटी और न उसने पुलिस को कोई वयान दिया। आरोपीगण को वह भी नहीं जाती है। इस साक्षिया ने भी प्र0पी0 12 के पुलिस कथन का ए से ए भाग 'दिनांक 02.06.2014 से..... बात की है' पुलिस को देने से इन्कार करते हुए इस बात से भी इन्कार किया है कि विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा ही उसके भाई छोटू के साथ लूट की घटना की गई थी, बल्कि पेरा 3 में यह कहा है कि घटना के समय वह बुम्बई में थी और उसकी शादी को चार वर्ष हो गए है।
11. इस प्रकार से घटना के साक्षी अ0सा0 3 व 4 आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन अभिसाक्ष्य नहीं दी है और उनकी बहन नगीना ने भी समर्थन नहीं किया है, जबकि अभियोजन कथानक के मुताबिक मूल घटना इस आशय की बताई गई थी कि छोटू खॉ और लालू मोटरसाइकिल से जा रहे थे तथा रास्ते में हीरापुर धमसा मार्ग में पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक यू.पी. 75 एस. 0797 में तीन बदमाशों ने आकर रास्ता रोककर माउजर कट्टा छोटू खॉ की कनपटी पर लगाकर धमकी देते हुए उनके पर्स, मोबाइल छीनकर लूट की और मोटरसाइकिल की चाबी भी छुड़ाकर ले गए। प्र.पी. 7 की एफ0आई0आर0 में लूट करने वालों की हुलिया बताते हुए सामने आने पर उनको पहचान लेने की बात भी लिखाई गई थी, जिससे रिपोर्टकर्ता छोटू खॉ न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में इन्कार करता है। वह और लालू खॉ तथा नगीना अपने अपने अभिसाक्ष्य में इस बात की पुष्टि अवश्य करते हैं कि छोटू खॉ और लालू खॉ के साथ रास्ते में लूट की बारदात तीन बदमाशों द्वारा की गई, किन्तु उसे विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा ही अंजाम दिया गया ऐसा उक्त तीनों साक्षियों के अभिसाक्ष्य में नहीं आया है। अनश्रुत साक्षी के रूप में नगीना ने भी उसका समर्थन नहीं किया है। इसलिए शेष साक्ष्य से यह मूल्यांकित करना अपेक्षित हो जाता है कि— क्या जो लूट की घटना अ0सा0 3 लगायत 5 द्वारा बताई गई है उसे आरोपीगण द्वारा ही अंजाम दिया गया था ?
12. छोटू खॉ ने प्र.पी. 7 लगायत 9 के दस्तावेजों में पुलिस द्वारा कौरे कागजों के रूप में हस्ताक्षर करा लेना कहा है जिसका खण्डन नहीं हुआ है। रिपोर्ट वह तीसरे दिन करना बताता है। घटना दिनांक 02.06.2014 के शाम के समय की रात के 08:30 बजे की है और रिपोर्ट दूसरे दिन शाम पौने सात बजे लेख की गई। घटनास्थल से थाने की दूरी 13 किलोमीटर होनी बताई गई है। रिपोर्ट में बिलम्ब के संबंध में न तो छोटू खॉ ने कोई स्पष्टीकरण दिया है और न ही रिपोर्ट लेखक उपनिरीक्षक एस.के. शर्मा अ0सा0 9 के द्वारा कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। एफ0आई0आर के कालम नम्बर 8 में भी बिलम्ब का कोई कारण अंकित नहीं है, जबकि यदि रात में घटना हुई थी तो दूसरे दिन प्रातःकाल या

मध्यांतर पूर्व रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती थी, किन्तु पूरा दिन व्यतीत होने के बाद शाम पौने सात बजे रिपोर्ट का दर्ज कराया जाना और उसका भी कोई समर्थन न होना संदेह पैदा करता है तथा अ0सा0 3 का ऐसी स्थिति में रिपोर्ट के लिए सरपंच व पटेल को साथ ले जाना उनके द्वारा टी0आई0 से चर्चा के बाद कागजों पर उसके हस्ताक्षर करा लिए जाने की दी गई साक्ष्य से भी संदेह उत्पन्न होता है।

13. छोटू खॉ अ0सा0 3 ने अपनी अभिसाक्ष्य में प्र.पी. 9 की माल शिनाख्ती मेमो पर भी हस्ताक्षर करना बताया है, किन्तु मोबाइल की पहचान उससे कराया जाने से इन्कार किया है और यह कहा है कि पुलिस ने उसका मोबाइल थाने पर दिखाया था। इस प्रकार वह शिनाख्ती की कार्यवाही का भी समर्थन नहीं करता है। शिनाख्ती की दूसरा साक्षी लालू खॉ अ0सा0 4 जिसने कि अपने अभिसाक्ष्य में मोबाइल थाने पर दिखाया जाना अन्य किसी अधिकारी से पहचान न कराया जाना कहा है, साथ ही छोटू खॉ अ0सा0 3 यह भी कहा है कि जब थाने पर मोबाइल दिखाया था तब केवल उसका ही मोबाइल दिखाया था अन्य मोबाइल नहीं था।
14. शिनाख्ती करने वाले पार्षद विनोद अ0सा0 7 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 09.06.2014 को नगरपालिका परिसर के वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद रहते हुए पुलिस द्वारा जप्त सामान की पहचान की कार्यवाही की थी। पहचान करने वाले ग्राम गडरौली के रहने वाले दो व्यक्ति थे। पहचान की कार्यवाही में एक मोबाइल कार्वन कम्पनी का सफेद रंग का, एक मोबाइल नोकिया कम्पनी का काला रंग का, एक पर्स मूंगिया रंग का जिसमें 150/- रुपए थे और 200/- रुपए अलग थे, दो ऐयरफोन नीड की पहचान कराई थी और पहचान करने वालों ने अपना सामान पहचाना था। पहचान की कार्यवाही थाना परिसर गोहद में की थी। पहचान के समय अन्य माल मिलाकर नहीं रखा गया था। प्र.पी. 9 उसकी हस्तलिपि में भी नहीं है, केवल हस्ताक्षर और पदमुद्रा है, वह किसने लिखा इसकी उसे जानकारी भी नहीं है। प्र.पी. 9 का दस्तावेज पुलिस वाले लेकर आए थे। इस प्रकार से शिनाख्ती कराने वाले साक्षी के द्वारा भी शिनाख्ती की कार्यवाही में अन्य कोई वस्तु न मिलाई जाना बताया है। इससे माल शिनाख्ती की कार्यवाही भी दूषित प्रकृति की होकर प्रमाणित नहीं है और छोटू खॉ और लालू खॉ ने तो थाने में ही पुलिस वालों के द्वारा मोबाइल दिखाना कहा है। ऐसी स्थिति में प्र0पी0 7 व प्र0पी0 9 के बारे में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
15. प्र0पी0 8 का नक्शामौका मुताबिक घटनास्थल थाना गोहद के क्षेत्रांतर्गत होकर डकैती प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में अवश्य आता है, किन्तु घटना स्थल से बापस घर आते समय रास्ते में थाना मिला या नहीं इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में एफ0आई0आर0 बिलंबित श्रेणी की है। यह भी घटना के बारे में

संदेह उत्पन्न करती है। इसलिए अ0सा0 3 लगायत 5 के अभिसाक्ष्य से केवल इस बात की पुष्टि मानी जा सकती है कि छोटू खॉ और लालू के साथ लूट की घटना घटित हुई, किन्तु आरोपीगण द्वारा ही घटित की गई यह उनकी अभिसाक्ष्य से कतई प्रमाणित नहीं होता है।

16. प्रकरण में अभियोजन द्वारा आरोपीगण को अनुसंधान के दौरान पकड़े जाने के पश्चात् उनसे की गई पूछताछ से प्राप्त जानकारी के आधार पर हुए सामान की जप्ती पर से अभियोजित किया गया है और उसके संबंध में साक्ष्य भी पेश की गई है, इसलिए उनका मूल्यांकन करते हुए यह विश्लेषित करना होगा कि क्या शेष अभियोजन साक्ष्य से फरियादी छोटू खॉ और लालू खॉ के साथ घटित हुई लूट की बताई गई घटना विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा ही कारित की गई है अथवा नहीं।
17. इस संबंध में फरियादी छोटू खॉ अ0सा0 3 को आरोपी धर्मेन्द्र, सचिन उर्फ राज और गौरव की गिरफ्तारी सचिन और धर्मेन्द्र से हुई जप्ती का भी पंच साक्षी बनाया गया है, जिसके संबंध में पैरा 7 में उसने उक्त प्र.पी. 1 लगायत 5 के दस्तावेजों पर केवल अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं, किन्तु इस बात से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी राज उर्फ सचिन, गौरव और धर्मेन्द्र को गिरफ्तार किया था, जिनके गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 3 लगायत 5 थे। इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी धर्मेन्द्र से गिरफ्तारी दिनांक 03.06.2014 को ही एक मोबाइल फोन, ऐयरफोन की लीड और दो कारतूस 315 बोर के बरामद किये गए थे जिसका प्र.पी. 1 का जप्ती पत्रक बनाया था। उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी राज उर्फ सचिन से पुलिस ने लूट की घटना में उपयोग में लाई गई पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक यू.पी. 75 एस. 0797 जिसके आगे पुलिस भी लिखा था उसे जप्त किया था तथा साथ में वह अपने कब्जे में 315 बोर का एक माउजर कट्टा और काले रंग का पर्स जिसमें दो सौ रूपए, सौ-सौ के दो नोट थे वह भी जप्त किया गया था। इस प्रकार से उक्त फरियादी प्र.पी. 1 लगायत 5 की कार्यवाही का भी पक्ष विरोधी होते हुए भी समर्थन नहीं करता है। प्र.पी. 1 लगायत 5 का दूसरा पंच साक्षी आरक्षक अहिवरनसिंह अ0सा0 1 है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में मुख्य परीक्षण में दिनांक 03.06.2014 को थाना गोहद में पदस्थ थाना प्रभारी टी.आई. जे.पी. भट्ट के द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र से 315 बोर के दो कारतूस पीतल के, काले रंग का ऐयरफोन, सफेद रंग का लावा कम्पनी का मोबाइल जप्त किया था तथा आरोपी राज यादव उर्फ सचिन के कब्जे से काले रंग की उक्त पल्सर मोटरसाइकिल व 315 बोर का माउजर कट्टा मय एक जिंदा कारतूस के तथा एक काले रंग का पर्स जिसमें सौ-सौ के 2 नोट थे जप्त किये थे। वह तीनों आरोपीगण को प्र.पी. 3 लगायत 5 के गिरफ्तारी पत्रक बनाकर गिरफ्तार करना बताता है। टी0आई0 जे.पी. भट्ट अ0सा0 10 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में प्र.पी. 1 लगायत 5 की कार्यवाही आरक्षक

अहिवरन सिंह और छोटू खों के समक्ष करते हुए आरोपीगण को गिरफ्तार करना और जप्ती पत्रक मुताबिक आरोपी धर्मेन्द्र व राज उर्फ सचिन से वस्तुओं की जप्ती करना कहा है, किन्तु पैरा 13 में यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में विवेचना के दौरान रवानगी बापसी के रोजनामचा सान्हा संलग्न नहीं किया है। हालांकि थाने पर बैठकर कार्यवाही करने से इन्कार किया है और प्र.पी. 3 लगायत 5 की कार्यवाही में कोई स्वतंत्र साक्षी न होने स्वीकार करते हुए फरियादी छोटू खों को स्वतंत्र साक्षी बताया है।

18. प्र०पी० 1 लगायत 5 की कार्यवाही के संबंध में रोजनामचा सान्हा लिखा गया या नहीं लिखा गया तो उनके क्रमांक क्या है इस बारे में कोई साक्ष्य टी०आई० जे.पी. भट्ट अ०सा० 10 के द्वारा नहीं दी गई है न ही आरक्षक अहिवरनसिंह ने बताया है। आरक्षक अहिवरनसिंह को यह भी याद नहीं है कि उसके साथ उक्त दस्तावजों में दूसरा साक्षी कौन था। हालांकि वह इस बात से इन्कार करता है कि उसने टी०आई० जे.पी. भट्ट के कहने से हस्ताक्षर किए थे, किन्तु प्र.पी. 1 लगायत 5 की कार्यवाही के संबंध में स्वयं टी०आई० जे.पी. भट्ट अ०सा० 10 का अभिसाक्ष्य सुदृढ़ और विश्वसनीय स्वरूप का नहीं है, क्योंकि उक्त कार्यवाही प्र.पी. 1 लगायत 10 के मुताबिक मौ रोड गोहद एस.बी.आई के पास की प्र.पी. 2 में बताई है, प्र.पी. 1 में केवल मौ रोड गोहद लिखा हुआ है, प्र.पी. 3 में मैन रोड थाने के पास गोहद लिखा हुआ है, प्र.पी. 4 में मौ रोड गोहद लिखा है, प्र.पी. 5 में गोहद कस्बा थाने के पास लिखा हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तीनों आरोपीगण को अलग अलग स्थानों पर पगडा गया, अलग अलग स्थानों से धर्मेन्द्र और सचिन उर्फ राज से वस्तुएं बरामद बताई गई, किन्तु उनके संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा इस बात के प्रमाण के लिए अभियोजन द्वारा न तो पेश किया गया है और न ही लेखबद्ध किया जाना बताया है जो कि वास्तविक कार्यवाही को बल प्रदान करता हो। इसलिए आरक्षक अहिवरन अ०सा० 1 के प्र. पी. 1 लगायत 5 में बताए गए हस्ताक्षरों से वह विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है, बल्कि औपचारिक स्वरूप का साक्षी है, क्यों उसे यह जानकारी तक नहीं है कि कार्यवाही के दौरान दूसरा साक्षी कौन था। यह भी प्र. पी. 1 लगायत 5 के संबंध में संदेह पैदा करता है।

19. आरोपी राज उर्फ सचिन का प्र.पी. 6 का मेमोरेण्डम कथन बताया गया है जिसमें उसके द्वारा मोबाइल घर पर अटेची में रखा होना और बरामद करना बताया गया है और कार्वन कम्पनी का मोबाइल बताया गया है, प्र०पी० 6 से संबंधित साक्षी मुन्नाखटीक अ०सा० 02 और आरक्षक विनोद अ०सा० 06 है जिनमें से मुन्ना खटीक अ०सा० 02 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्र०पी० 6 के ज्ञापन की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया है और उसे अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षा की भांती पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी प्र०पी० 6 के संबंध में अभियोजन के पक्ष में कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं दी गयी है। इसलिये प्र०पी० 6 की



कार्यवाही के संबंध में ज्ञापन लेने वाले विवेचक एवं दूसरे साक्षी आरक्षक विनोद अ0सा06 के अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन करते हुये उसकी प्रमाणिकता को देखना होगा ।

20. आरक्षक विनोद अ0सा06 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0 6 के संबंध में यह बताया है कि दिनांक 4-6-14 को जब वह थाना गोहद में पदस्थ था तब टी0आई0 साहब ने आरोपी राज यादव से पूछताछ की थी जिसमें घटना में प्रयुक्त कट्टा पूर्व में बरामद करा देना व लूट का मोवाइल बरामद करा देना बताया था । यह भी कहा है कि उक्त दिनांक को उसके अलावा आरक्षक रंजीत की ड्यूटी थाने में लगी थी और लिखा पढी थाने में हुयी थी उसके अलावा रंजीत ने हस्ताक्षर किये थे । प्र0पी0 6 में पूरा क्या लिखा है यह वह नहीं बता सकता है क्योंकि वह उसी दिन लाईन से ड्यूटी पर आया था और उसने टी0आई0साहब के कहने से हस्ताक्षर किये थे । अन्य आरोपी धर्मेन्द्र से संबंधित प्र0पी0 13 के ज्ञापन के संबंध में भी उक्त आरक्षक का उक्त प्रकार का ही अभिसाक्ष्य आया है ।

21. आरक्षक विनोद अ0सा06 के मुताबिक प्र0पी0 6 और 13 के ज्ञापनों की कार्यवाही के समय आरक्षक रंजीत की भी उपस्थिति होना और उसके द्वारा भी साक्षी के तौर पर हस्ताक्षर करना कहा गया है । जबकि प्र0पी0 6 में आरक्षक रंजीत साक्षी नहीं है और न ही रंजीत के हस्ताक्षर हैं । प्र0पी0 13 पर भी रंजीत के कोई हस्ताक्षर साक्षी के तौर पर नहीं है तथा अ0सा06 टी0आई0 के कहने पर हस्ताक्षर करना दस्तावेज को पूरा पढे वगैर हस्ताक्षर करना तथा उक्त दिनांक को ही लाईन से ड्यूटी पर आना बताता है इससे प्र0पी0 6 के ज्ञापन को उक्त साक्षी से पूर्णतः समर्थित होना नहीं माना जा सकता है । उसके मुताबिक उक्त कट्टा और मोवायल की जानकारी आरोपी राज द्वारा दी गयी थी और धर्मेन्द्र के द्वारा मोटरसायकिल व लोडेड कट्टे की जानकारी देना वह कहता है । अन्य वस्तुओं के बारे में उसका अभिसाक्ष्य नहीं है जबकि प्र0पी0 6 के द्वारा जिन तथ्यों का प्रकटीकरण होना बताया गया है उसमें फरियादी की मोटरसायकिल की चाबी तथा दो पर्स जिसमें रुपये भी थे का भी उल्लेख है । सामान कहां से बरामद कराया है इस बारे में उक्त साक्षी अनभिज्ञ है और उसे कोई जानकारी नहीं है । ऐसे में प्र0पी0 6 एवं 13 के दस्तावेजों की प्रमाणिकता के बारे में उनसे संबंधित विवेचक की साक्ष्य मूल्यांकित करने की आवश्यकता हो जाती है कि विवेचक की साक्ष्य से दस्तावेज प्रमाणित होते हैं अथवा नहीं ।

22. प्र0पी0 6 एवं 13 की कार्यवाही भी टी0आई0 जे0पी0भट्ट अ0सा0-10 के द्वारा की जाना बतायी गयी है जिसके संबंध में विवेचक ने अपने अभिसाक्ष्य में पेरा-3 में प्र0पी0 6 के संबंध में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि, उसे आरोपी राज उर्फ सचिन यादव ने दिनांक 4-6-14 को की गयी पूछताछ में लूटे गये माल में

फर्नीचर की दुकान का कार्ड कार्बन कंपनी का मोबायल अपने ग्राम फूटा ताल में अटेची में छिपाकर रखने एवं बरामद करा देने की जानकारी दी थी तथा पेरा-4 में प्र०पी० 13 के संबंध में उसके मुताबिक आरोपी धर्मेन्द्र यादव द्वारा मोटरसायकिल की लूटी हुयी चाबी व 400 रुपये ग्राम किटी में अपने घर में छिपाकर रख ली और बरामद कराने की जानकारी देना कही है और थाने पर ही उक्त कार्यवाही की जाना पेरा-12 में स्वीकार किया है। किन्तु थाने पर भी यदि विवेचक कार्यवाही करते हैं तो उसका उल्लेख रोजनामचा सान्हा में किया जाना आवश्यक होता है जिसका अभाव है। ऐसे में बचाव पक्ष का यह तर्क कि वास्तव में कार्यवाही नहीं की और थाने पर बैठकर दस्तावेजों की रचना कर ली है उसे बल मिलता है और विवेचक व आरक्षक विनोद के अभिसाक्ष्य में पंच साक्षियों के संदर्भ में विरोधाभास की स्थिति भी है और अभिलेख पर जो उपर वर्णित साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया है उसे देखते हुये प्र०पी० 6 एवं 13 के दस्तावेज उक्त विवेचक से भी प्रमाणित नहीं माने जा सकते।

23. अन्य अभियोजन साक्षियों में टी.आई. जे. पी. भट्ट अ०सा०-10 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी गोरव के पुलिस अभिरक्षा से भाग जाने के कारण उसे दिनांक 05/06/14 को ग्राम किटी थाना उमरी से गिरफ्तार कर प्र.पी.-15 का गिरफ्तारी पंचनामा तैयार करना बताते हुए अभिरक्षा से भाग जाने के संबंध में प्रथक से कार्यवाही करना बताया है, गिरफ्तारी की कार्यवाही औपचारिक स्वरूप की है, और प्र०पी०-14 के मेमोरेण्डम कथन जो आरोपी राज उर्फ सचिन यादव से संबंधित है तथा प्र०पी०-16 लगायत 18 मुताबिक बताई गई वस्तुओं की जब्ती के आधार पर आरोप प्रमाणित होता है, या नहीं यह और देखने की जरूरत है, प्र०पी०-14 लगायत प्र०पी०-18 के पंचसाक्षी आर० मंजीत अ०सा०-08 और आर० सुनील शर्मा अ०सा०-12 है।

24. आर० मंजीत अ०सा०-8 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि दिनांक 05.06.14 को वह थाना गोहद में पदस्थ था, तब टीआई जे. पी. भट्ट ने उसके सामने आरोपी सचिन यादव का धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत बयान लिया था, जिसमें लूट के माल में उसके हिस्से में कार्बन कंपनी का सफेद रंग का मोबाईल आना बताया था, ऐसा ही आर० सुनील शर्मा अ०सा०-12 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में बताया है, और दोनों ने प्र०पी०-14 के ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर बताए हैं, टीआई जे०पी० भट्ट अ०सा०-10 ने प्र०पी०-14 के संबंध में इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य पेरा-03 में दिया है, किन्तु धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत जिन तथ्यों को डिस्कवरी के रूप में ग्राह्य किया जा सकता है, उसमें अपराध की उक्त प्रकार की स्वीकारोक्ति नहीं आती है, इसलिए ज्ञापन का वह भाग जिसमें लूट के माल में से वस्तु प्राप्त होना ग्राह्य योग्य नहीं है, केवल उतना हिस्सा ग्राह्य है, जिसमें उक्त आरोपी के द्वारा कार्बन कंपनी का सफेद मोबाईल व मोटरसाइकिल की चाबी अपनी ससुराल उमरी में अटेची में रखना और बरामद

कराना बताया गया है, जिसके अनुक्रम में यदि बरामदगी सिद्ध होती है, तो उसे कड़ी के रूप में जोड़ा जा सकता है।

25. प्र0पी0-14 का ज्ञापन भी थाना गोहद पर लिया जाना उक्त दस्तावेज के अंकित है, दोनों पंचसाक्षी अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी बनाए गए हैं, स्वतंत्र साक्षी किस कारण उपलब्ध नहीं हुए इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, और प्र0पी0-14 से संबंधित रोजनामचा सान्हा भी पेश नहीं है, जबकि वह विवेचना की पुष्टि के लिए पेश होना आवश्यक था।

26. धारा-27 साक्ष्य विधान के उपबंध मुताबिक— **अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी—** परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चल जाता है, तब ऐसी जानकारी में से, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी ऐतद द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।

27. साक्ष्य विधान की धारा-27 के निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग हैं:—

1. सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए।
2. उसका पुलिस की अभिरक्षा में होना चाहिए।
3. उस व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप किसी सुसंगत तथ्य का पता लगना चाहिए।
4. पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित भाग को साबित किया जा सकता है।
5. चाहे वह भाग संस्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं।

28. प्र0पी0-06, 13 एवं 14 के ज्ञापनों के आधार पर बताई गई जब्ती का जहां तक प्रश्न है, उसके संबंध में टी.आई. जे0पी0 भट्ट अ0सा0-10 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0-16 मुताबिक आरोपी गोरव से एक मूंगिया रंग का रेग्जीन का पर्स जिसमें 150/-रुपए थे, तथा एक नोकिया कंपनी का काला मोबाईल सफेद कवर वाला जब्त होना बताया है, और जब्ती उक्त आरोपी के मकान स्थित ग्राम किटी से बताई है, किंतु जब्तीपत्र के कालम नंबर 04(द) में आरोपी के पास से पेंट की जेब से बरामद करना कहा है यदि जब्ती के पूर्व आरोपी पुलिस अभिरक्षा में था जिसका धारा-27 का ज्ञापन थाने पर लिया गया था, तो फिर पेंट की जेब से जब्ती बताई जाना संदेह उत्पन्न करती है आरोपी गोरव का कोई मेमोरेण्डम कथन नहीं लिया गया है सह अभियुक्तगण राज उर्फ सचिन और धर्मेन्द्र के मेमोरेण्डम कथनों में ही उसका नाम आया है, जबकि सह अभियुक्त का धारा-27 साक्ष्य विधान का कथन दूसरे आरोपी के संबंध में ग्राह्य योग्य नहीं

होता है जैसा कि न्याय दृ० लक्ष्मीनारायण विरुद्ध स्टेट ऑफ एम०पी० 2009 भाग-1 एम०पी०एच०टी० पेज-478 में सिद्धांत प्रतिपादित है, इसलिए उक्त जब्ती प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है, और जब्ती के भी केवल पुलिस के अधीनस्थ कर्मचारी मंजीत और सुनील साक्षी हैं, जबकि यदि ग्राम किटी से जब्ती की गई तो वहां का स्थानीय व्यक्ति साक्षी को बनाया जा सकता था, इससे भी बचाव पक्ष का यह तर्क कि थाने पर बैठ कर पूरी कार्यवाही कर ली उसे बल मिलता है।

29. प्र०पी०-17 के जब्तीपत्र मुताबिक आरोपी धर्मेन्द्र से फरियादी की मोटरसाइकिल की चाबी और एक मूंगिया रंग के पर्स सहित 400/-रुपए जब्त करना बताया है, जब्ती का स्थान सरकार पुरा उमरी में आरोपी सचिन उर्फ राज की ससुराल के घर से बताई गई है, एफआईआर प्र०पी०-07 में फरियादी छोटू खां और लालू खां के जो पर्स लूटे जाना बताया गए हैं, उसमें छोटू खां का पर्स मूंगिया रंग का और लालू खां का पर्स काले रंग का बताया गया है, जबकि प्र०पी०-16 एवं 17 में जो पर्स जब्त हुए हैं, वे दोनों ही मूंगिया रंग के बताए गए हैं, और उनकी कोई शिनख्ती भी नहीं हुई है, इसलिए प्र०पी०-16 एवं 17 के संबंध में आर० मंजीत अ०सा०-08 आर० सुनील अ०सा०-12 और विवेचक टी आई जे०पी० भट्ट अ०सा०-10 के द्वारा दी गई अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, और उसके संबंध में भी कोई रोजनामचा सान्हा खानगी वापिसी की गई हो ऐसा भी प्रमाण पेश नहीं है, न बताया गया, इसलिए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

30. प्र०पी०-18 के जब्तीपत्र मुताबिक आरोपी सचिन से एक कार्बन कंपनी का सफेद बॉडी का मोबाइल जिसमें नई सिम फेंक देना और टाटा डोकोमो सिम लाकर डाल देना बातया था, उसे आरोपी की पत्नी पूनम द्वारा अटेची देने पर उसमें से आरोपी द्वारा पेश कर जब्त किया जाना बताया गया है, प्र०पी०-18 में इस बात का उल्लेख अवश्य है, कि कोई स्थानीय गवाह हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हुआ, जब्त वस्तुएं मोके पर शील्ड करना बताया गया है, किंतु किसी भी जब्तीपत्र पर कॉलम नंबर 13 की पूर्ती नहीं है, अर्थात् जब्तीपत्र में कोई शीलनमूना अंकित नहीं किया गया है, और उसके प्रतिकूल जब्तीपत्रों में टीप अवश्य इस बात की लगाई गई कि जब्त वस्तुएं मोके पर शील्ड की गई किंतु शील्ड करने के संबंध में विवेचक अ०सा०-10 की साक्ष्य नहीं आई है, न ही आर० मंजीत अ०सा०-08 और सुनील अ०सा०-12 ने अपने अभिसाक्ष्य में शील्ड करने वाली बात बताई है, इसलिए जब्तीपत्रों भी प्रमाणित नहीं हैं, और जो वस्तुएं जब्त बताई हैं, उनकी पहचान प्रमाणित नहीं हुई है, इसलिए अभियोजन का मामला संदिग्ध है और युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित नहीं होता है, कि छोटू खां और लालू खां के साथ जो लूट की घटना हुई थी, उसे विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा ही डकैती प्रभावित क्षेत्र में लूट करने का सामान्य आशय



बनाते हुए कारित किया गया था यहां यह भी उल्लेखनीय है, कि एफआईआर मुताबिक लूट करने वालों को फरियादी द्वारा सामने आने पर पहचान लेने की बात कही गई थी, किंतु अभियुक्तों के गिरफ्तार होने के पश्चात उनकी शिनखी की कोई कार्यवाही धारा-09 साक्ष्य विधान के तहत नहीं कराई गई है।

31. इस प्रकार से उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध विरचित आरोप धारा-397 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 का अपराध युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित न होने से उन्हें उक्त आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक-03 का निराकरण

32. ऊपर किए गए विश्लेषण मुताबिक जब्ती प्रमाणित नहीं हुई है, घटना के विवेचक टी.आई. जे0पी0 भट्ट अ0सा0-10 के द्वारा आरोपी सचिन उर्फ राज यादव से 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद करना प्र0पी0-02 मुताबिक बताया गया है, किंतु प्र0पी0-02 के कॉलम नंबर 03 की पूर्ती नहीं है, न ही जब्त कट्टा कारतूस साक्ष्य में पेश किया है, और उक्त जब्तीपत्र को ऊपर किए गए विश्लेषण मुताबिक संदिग्ध पाया गया है, उसके संबंध में सुदृढ साक्ष्य का अभाव है, अभियोजन की ओर से जब्त बताए गए कट्टा कारतूस की आर्म्स शाखा से जांच कराई जाकर उसकी रिपोर्ट को पेश व प्रमाणित नहीं किया गया है, जबकि उसका पेश किया जाना और आग्नेय शस्त्र का भी पेश किया जाना आवश्यक था क्योंकि उसके अभाव में भी जब्ती संदिग्ध हो जाती है, ऐसी स्थिति में परीक्षित कराए गए आर्म्स क्लर्क दीपक अ0सा0-11 के अभिसाक्ष्य से अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्र0पी0-19 को प्रमाणित मान भी लिया जाए तब भी उक्त आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं होगा क्योंकि अभियोजन स्वीकृति के आधार पर केवल इतना निष्कर्ष विधिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है, कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा आयुध अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन मानकर उक्त अधिनियम की धारा-39 के तहत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किए जाने में न्यायिक विवेक का उपयोग किया गया है, किंतु जब तक जब्ती प्रमाणित न हो तब तक अभियोजन स्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धी नहीं की जा सकती है, ऐसी स्थिति में अ0सा0-11 का अभिसाक्ष्य औपचारिक स्वरूप का हो जाता है।

33. इस प्रकार से आरोपी सचिन उर्फ राज यादव के विरुद्ध अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित करने में भी असफल रहा है, कि वह लूट की घटना में शामिल रहते हुए घटना कारित करने में 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा कारतूस के उपयोग में लाया और वह अपने आधिपत्य व संज्ञान में बगैर वैध अनुज्ञप्ति के जब्ती दिनांक को भी रखे पाया गया जिससे आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 का उल्लंघन हुआ हो। फलतः आरोपी सचिन उर्फ

राज यादव को धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम सहपठित धारा-11, 13 डकैती अधिनियम के आरोप से भी संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

34. आरोपी धर्मेन्द्र एवं सचिन यादव उर्फ राज यादव के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
35. आरोपी गौरव के जेल वारंट पर लाल स्याही से टीप लगायी जावे कि आरोपी इस प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है, अन्य प्रकरण में आवश्यकता न होने पर उसे रिहा किया जावे आरोपी गौरव की दोषमुक्ति की सूचना विधिवत उपजेल गोहद को आवश्यक कार्यवाही हेतु दी जावे।
36. आरोपीगण के धारा-428 दंडप्र0सं0 के अंतर्गत विचारण दौरान न्यायिक निरोध में काटी गयी अवधि बावत् प्रमाणपत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
37. प्रकरण में जब्तशुदा एक काले रंग का पर्स एक मूंगिया रंग का पर्स समयावधि को देखते हुए मूल्यहीन हो चुके हैं, उन्हें अपील अवधि पश्चात विधिवत नष्ट किया जावे, तथा रूपए जब्तशुदा रूपए मोबाइल फोन इयरफोन की लीड मोटरसाइकिल की चाबी, फरियादी छोटू खां और लालू खां को अपील अवधि पश्चात विधिवत वापिस किए जावे तथा जब्तशुदा बताया गया 315 बोर का देशी कट्टा एवं तीन पीतल के 315 बोर के कारतूस अपील अवधि पश्चात विधिवत निराकरण हेतु डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजे जावे।
38. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांक-03 फरवरी 2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश, डकैती  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश, डकैती  
गोहद जिला भिण्ड